राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ (राज.)
E-mail :- uitchittorgarh@gmail.com

Phone : 01472-251055

क्रमांक / तकनीकी / 2018–19 / 1081 दिनांक :– 10-4-2016

प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय,
राजस्थान जयपुर

विषय :–UIT Chittorgarh के द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले के प्रादेशिक मंडल के अधीन क्षेत्र में For Widening, Strengthen & Recarpeting of Road From Delhi Gate NH-79 Via Manpura/Gopalnagar, Chittorgarh के निर्माण कार्य हेतु 1.26 (पूर्व में 2.58) हैक्टेयर वन क्षेत्र के अन्तरक्षण के लिए ऑनलाईन प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव स, FP/RJ/ROAD/24722/2017 दिनांक 08.08.2016 को रजिस्टर किया गया हैं। प्रस्ताव का परीक्षण किए जाने पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत हैं।

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुरे पत्रांक F14( )2017/FCA/PCCF/EDS In Dated 09.04.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रानुसार निवेदन हैं कि नगर विकास न्यास के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/24722/2017 दिनांक 08.08.2016 में श्रीमान् द्वारा की गई आपत्तियों का बिन्दुवार प्रत्युत्तर प्रेषित हैं।

1. बिन्दु संख्या 2 की अनुपालना के संदर्भ में वन क्षेत्र की सीमा सम्बन्धित उपवन संरक्षक कार्यालय द्वारा बताये गये बिन्दु अनुसार ली गई है एवं प्रस्तावित क्षेत्र सही है। KML file Polygone Shape में संलग्न है।
2. बिन्दु संख्या 3 की पालना के क्रम में बिन्दु संख्या 2 की पालना के अनुरूप ही GT Sheet 1:50,000 Scale संलग्न की गयी हैं।
3. बिन्दु संख्या 4 की पालना के क्रम में बिन्दु संख्या 2 की पालना के अनुरूप ही DGPS/ Total Station Map संलग्न किया गया हैं।
4. बिन्दु संख्या 8 की पालना के संबध में निवेदन हैं कि प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या D में संलग्न प्रस्ताव की औचित्यता में प्रस्ताव त्रुटिवश 2.58 हैक्टेयर अवगत कराया गया जबकि वन क्षेत्र में सड़क की लम्बाई 1200 मीटर हैं एवं सड़क की चौड़ाई 14.50 मीटर ही प्रस्तावित है। वर्तमान सड़क 1980 के पूर्व से प्रचलित है एवं इसका पूर्व में कोई अनारक्षण नही करवाया गया है। भविष्य की संभावना को देखते हुए एवं तकनिकी रूप से सड़क के दोनो तरफ निर्धारित मापदंण्ड के अनुसार 2–2 मीटर के बर्म प्रस्तावित किये गये है तदानुसार सड़क की चौडाई 13.50 मीटर से 14.50 मीटर रखी गई है। वन क्षेत्र में रोड़ निमार्ण के लिये भूमि 1200 मीटर x 14.50 मीटर से 17400 वर्ग मीटर यानि 1.74 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता रहेगी एवं नगर विकास न्यास द्वारा अब प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
5. बिन्दु संख्या 6 की पालना में प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या E में Employment Generation में चाही गयी सूचना अनुसार उक्त निर्माण कार्य 1 वर्ष तक चलेगा जिसके लिए स्थायी कार्मिक नहीं लगेगें, अस्थायी श्रमिक कार्य करेगें। प्रतिदिन 20 मजदुर के अनुसार अनुमानित 5000 Main Days (मजदुर, दिवस) सृजित होगें।
6. बिन्दु संख्या 11 की पालना में प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या K में त्रुटिवश NO अंकित कर दिया गया था जबकि संशोधित प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम 2006 की कार्यवाही पूर्ण कराई जाकर निर्धारित प्रपत्र में वन अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र मय संलग्नक कर Upload कर दिये गये हैं।
7. प्रत्यार्तित वन भूमि के बदलें दी जाने वाली भूमि के बराबर गैर वन भूमि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा गैर वन भूमि आरक्षित कर दी गई हैं। जिसकी अभिशंषा उप वन संरक्षण चित्तौड़गढ़ द्वारा NOC दे दी गई हैं, अग्रिम कार्यवाही प्रगति पर हैं, इससे संबंधित KML file, GT Sheet & DGPS Map संलग्न कर दिये जायेगें।
8. प्रस्ताव में संलग्न DPR में क्रास सेक्शन 10.50 मीटर चौड़ाई में लिये गये थे। तथा साईड में दोनो तरफ 1.50 – 1.50 मीटर बर्म प्रस्तावित होने से सड़क की चौड़ाई 13.50 मीटर अंकित की गई थी। इसके पश्चात् भविष्य की संभावना को देखते हुए एवं तकनिकी रूप से सड़क के दोनो तरफ निर्धारित मापदंण्ड के अनुसार 2–2 मीटर के बर्म प्रस्तावित किये गये है तदानुसार सड़क की चौडाई 13.50 मीटर से 14.50 मीटर रखी गई है। नगर विकास न्यास की तकनिकी समिती की बैठक में सड़क की चौड़ाई 10.50 मीटर डामरीकण के साथ सड़क के दोनो तरफ निर्धारित मापदण्ड अनुसार 2.0 –2.0 मीटर के बर्म निर्धारित किये जाने से सड़क की चौड़ाई 14. 50 मीटर प्रस्तावित की गई हैं। जिसका संशोधित रोड़ क्रास सेक्शन अपलोड़ कर दिया गया हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि न्यास के प्रस्ताव को स्वीकृत कराने की महत्ती कृपा करावें।

भवदीय

(रामेश्वर प्रसाद शर्मा)
अधिशाषी अभियंता
नगर विकास न्यास,
चित्तौड़गढ़

D:\hp laptop data\G\Uit Chittorgarh\Draft Letter.docx